

प्रेस नोट दिनांक-01.02.2026 जनपद प्रतापगढ़

साइबर थाना जनपद प्रतापगढ़

साइबर थाना प्रतापगढ़ द्वारा ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग एवं लोन एप के माध्यम से की जा रही अंतरराज्यीय साइबर ठगी के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, उक्त अभियोग में इससे पूर्व 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन व नोडल अधिकारी साइबर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल के निकट पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के नेतृत्व में साइबर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में वादी मुकदमा निवासी ग्राम वीवीपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर साइबर थाना में पंजीकृत मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318(2)/319(2)/338/336(3)/340(2)/3(5) BNS व 66C IT Act दर्ज कर वादी मुकदमा के साथ अन्तर्जनपदीय साइबर अपराधियों के गिरोह के सदस्यों द्वारा लोन दिलाने का लालच देकर खाता खुलवाने व उसका इस्तेमाल साइबर अपराध में करने के सम्बन्ध में जांच/विवेचना के क्रम में प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्री दिवाकर सिंह मय हमराह हे0का0 नीरज कुमार, का0 पंकज पाल, का0 हर्षदीप सिंह मय चालक आरक्षी ज्वाला सिंह द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त सूरज यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम खम्हरिया गंगाराम पोस्ट मझौवा बाबू हरैया जिला बस्ती उत्तर प्रदेश को जनपद जौनपुर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सदर चौराहे से राजापाल टंकी की तरफ आने वाले मार्ग पर स्थित कांशीराम कालोनी, के0पी0 कालेज ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन, 05 अदद सिम, 10 अदद डेबिट कार्ड, 01 अदद बैंक पासबुक बरामद किए गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सूरज यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम खम्हरिया गंगाराम पोस्ट मझौवा बाबू हरैया जिला बस्ती उत्तर प्रदेश।

उक्त अभियोग में इससे पूर्व 8 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया-

01. शिवम तिवारी पुत्र सूर्यप्रकाश तिवारी निवासी सगरा पोस्ट पूरे ओझा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

02. अनुराग शुक्ला पुत्र राजेन्द्र कुमार शुक्ला नि0 शुक्लपुर दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष।

03. अंकित पाल पुत्र प्रभाकर पाल नि0 भगवाचुंगी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष।

04. आदित्य मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा निवासी सगरा पोस्ट पूरे ओझा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

05. उमेर अशफाक पुत्र अशफाक अहमद निवासी मकान नं0 272 JN शुक्ला रोड पल्टन बाजार थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़

06. दानिश पुत्र मो0 मुबीन निवासी भुलियापुर दहिलामऊ सीटी नियर एक्का सागर फैक्ट्री सदर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़,
07. सुनील यादव पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी गढ़वारा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ,
08. पंकज कुमार अग्रहरि पुत्र स्व0 कमल कुमार अग्रहरि निवासी मंगल बाजार कस्बा व थाना बासी जनपद सिद्धार्थ नगर हाल पता प्लाट नं0 68,69 सीतापुर रोड नियर ट्रिकाल फैक्ट्री प्रभात पुरम निराला नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मोबाइल फोन व उसमें लगी दोनो सिम व 08 डेबिट कार्ड मेरे हैं तथा दो डेबिट कार्ड व पर्स में रखे तीनो सिम व पासबुक पंकज अग्रहरि ने मेरे पास भिजवाया था । पंकज अग्रहरि पहले परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन का कार्य करता था । मैं भी उसी के साथ कुछ दिन काम किया, जिसके कारण उससे हमारी मित्रता हो गयी थी । पंकज अग्रहरि साइबर फ्राड सम्बन्धित संगठित गिरोह का सदस्य भी है। वह पहले से ही साइबर फ्राड करता था । मुझसे भी कहा कि इस काम में काफी फायदा है लागत कुछ नहीं है। जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे तुम्हे काम करना है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हे मिल जायेगा। जिसके बहकावे में आकर मैंने उसके कहने पर उसके साथ मिलकर साइबर फ्राड का काम करने लगा । पंकज अग्रहरि व उसके साथियों द्वारा भोले भाले लोगो को बहला फुसलाकर धोखाधड़ी से लोने दिलाने के बहाने उनके खाते खुलवाकर उसमें अपने गैंग के सदस्यों या उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सिम को बैंक अकाउन्ट में लिंक करवा देते थे तथा उनसे एटीएम, सिम व बैंक पासबुक ले लेते थे, जिसमें फ्राड करके पैसा मंगाते थे। पंकज अग्रहरि मुझे एटीएम, सिम व बैंक पासबुक उपलब्ध कराता था । पंकज अग्रहरि व उसके गैंग के अन्य साथियों द्वारा फर्जी ट्रेडिंग, लोनिंग व गेमिंग एप के माध्यम से फ्राड करके जब भी बैंक खातो में पैसा भेजते थे तो पंकज अग्रहरि मुझे काल या मैसेज करके बता देता था तथा उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेने के बाद मैं अपना हिस्सा लेकर शेष पैसे को उसके द्वारा बताये गये बैंक अकाउन्ट में डाल देता था । कभी कभी मेरे बैंक अकाउन्ट में भी पैसे भेजता था जिसको मैं अपने बैंक अकाउन्ट से उसके द्वारा बताये गये बैंक अकाउन्ट में ट्रान्सफर कर देता था ।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद मोबाइल फोन, 05 अदद सिम, 10 अदद डेबिट कार्ड, 01 अदद बैंक पासबुक बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण – प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्री दिवाकर सिंह मय हमराह हे0का0 नीरज कुमार, का0 पंकज पाल, का0 हर्षदीप सिंह मय चालक आरक्षी ज्वाला सिंह साइबर थाना प्रतापगढ़ ।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

अवैध रूप से संचालित क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग व थाना महेशगंज पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, 06 बंडल राजकीय औषधियाँ बरामद, 01 कथित डॉक्टर गिरफ्तार

थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत हीरागंज बाजार स्थित मन्नत क्लीनिक से अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे कथित डॉक्टर की गिरफ्तारी, 06 बंडल राजकीय औषधियाँ बरामद

मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार दिनांक 31.01.2026 को हीरागंज बाजार स्थित मन्नत क्लीनिक के संबंध में प्राप्त सूचना पर संज्ञान लिया गया, जहाँ कथित डॉ० अरशद अहमद द्वारा अवैध रूप से मरीजों को देखे जाने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना के क्रम में उपमुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ डॉ० आजाद अहमद मय हमराह स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें डॉ० आर०पी० सिंह (स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) एवं डॉ० राजेश कुमार द्वारा थाना महेशगंज पुलिस के उ०नि० श्री प्रभाशंकर सचान के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त क्लीनिक कार्यालय में पंजीकृत नहीं पाया गया तथा राजकीय औषधियों का अवैध वितरण किया जाना पाया गया।

निरीक्षण/छापेमारी के दौरान अवैध रूप से संचालित क्लीनिक से 06 बंडल राजकीय औषधियाँ बरामद की गईं तथा कथित डॉक्टर अरशद अहमद पुत्र डॉक्टर इजहार अहमद निवासी कुण्डा बस स्टेशन रोड, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को हिरासत में लिया गया।

उक्त संबंध में थाना महेशगंज पर मु०अ०सं० 30/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, धारा 27(ख)(II) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा धारा 34(2) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 01 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना महेशगंज के उ०नि० श्री प्रभाशंकर सचान द्वारा अभियुक्त डॉक्टर अरशद अहमद पुत्र डॉक्टर इजहार अहमद निवासी कुण्डा बस स्टेशन रोड, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को हीरागंज बाजार स्थित मन्नत क्लीनिक से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अभियुक्त डॉक्टर अरशद अहमद पुत्र डॉक्टर इजहार अहमद निवासी कुण्डा बस स्टेशन रोड, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण- उपमुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ डॉ० आजाद अहमद मय हमराह स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें डॉ० आर०पी० सिंह (स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) एवं डॉ० राजेश कुमार जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० प्रभाशंकर सचान थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

ईनामिया अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में लूट, धोखाधड़ी, विस्फोटक पदार्थ अधि० जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० राकेश चौरसिया कां० नारायण जी, कां० मुकेश पटेल, कां० रुद्रांश चौबे, कां० योगेन्द्र यादव व चालक हे०का० मनोज कुमार भटनागर व स्पेशल टीम- उ०नि० लक्ष्मी कान्त सेंगर मय हमराह हे० कां० महेश कुमार सिंह, कां० सुनील कुमार, कां० वीरेन्द्र यादव व चालक हे० कां० कमलेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० ०१/२०२६ धारा २/३ उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम थाना फतनपुर से संबंधित २५०००/- रुपये का ईनामिया ०१ अभियुक्त भाष्कर सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गौरा पूरेबदल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब २५ वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत कहला बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

ईनामिया अभियुक्त का विवरण- भाष्कर सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गौरा पूरेबदल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब २५ वर्ष।

ईनामिया अभियुक्त भाष्कर सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गौरा पूरेबदल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब २५ वर्ष का आपराधिक इतिहास-

०१. मु०अ०सं० ०९/२०२३, धारा ३९२, ३४१, ४११ भा०द०वि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
०२. मु०अ०सं० ३४/२०२४, धारा ३२३, ५०४, ५०६, ३२४ भा०द०वि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।
०३. मु०अ०सं० १२७/२०२५, धारा ३१७(२), ३१८(४), ३३६(३), ३३८, ३४०(२) बीएनएस व ४/५ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० राकेश चौरसिया कां० नारायण जी, कां० मुकेश पटेल, कां० रुद्रांश चौबे, कां० योगेन्द्र यादव व चालक हे०का० मनोज कुमार भटनागर थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम- उ०नि० लक्ष्मी कान्त सेंगर मय हमराह हे० कां० महेश कुमार सिंह, कां० सुनील कुमार, कां० वीरेन्द्र यादव व चालक हे० कां० कमलेश यादव

साइबर थाना जनपद प्रतापगढ़

कुल २२ शिकायतों में ₹ ९,३२,९३८ /-की धनराशि जनपदीय साइबर सेल व साइबर क्राइम थाना प्रतापगढ़ द्वारा पीड़ितों को वापस कराई गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में व नोडल अधिकारी साइबर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल, सहायक नोडल अधिकारी साइबर सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एनसीआरपी पोर्टल एवं पीड़ितों द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच के अनुक्रम में जनपदीय साइबर सेल व साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये शिकायतकर्ताओं की धोखाधड़ी से आहरित धनराशि उनके खाते में पुनः वापस कराई गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा जनपदीय उच्चाधिकारियों, जनपदीय साइबर सेल व साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पीड़ितों के खाते में वापस कराये गये धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-

- * कुल शिकायतें: 22
- * कुल वापस कराई गई राशि: ₹ 9,32,938 /-
- * ठगी के तरीके: यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग,
- * क्रेडिट कार्ड फ्रॉड व अन्य तरीकों से ठगी।

जनसामान्य के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की अपील:

01. किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय अनावश्यक परमिशन (Contacts, SMS, Storage) देने से बचें।
02. OTP, CVV, ATM PIN या UPI Collect Approval किसी को भी फोन/चैट पर कभी साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर “Account Verification”, “Blue Tick” या “Copyright Warning” जैसे मैसेज अक्सर फर्जी होते हैं—इनसे सतर्क रहें।
04. पब्लिक Wi-Fi का उपयोग करते समय बैंकिंग या संवेदनशील लॉग-इन न करें।
05. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय केवल भरोसेमंद और सुरक्षित (<https://>) वेबसाइट का ही उपयोग करें।
06. QR Code स्कैन करने से पहले उसका स्रोत जरूर जांच लें, अनजान QR से भुगतान न करें।
07. वीडियो कॉल या स्क्रीन शेयर के लिए कहने वाले अनजान व्यक्ति से तुरंत संपर्क तोड़ दें।
08. सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे “Part-time Job”, “Like & Earn” या “Work From Home” ऑफर से सावधान रहें।
09. किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद यदि बैंक या ऐप लॉग-इन मांगा जाए, तो तुरंत पेज बंद कर उसे रिपोर्ट करें।
10. इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या वेबसाइट(<https://www.cybercrime.gov.in>) पर कॉल करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होशियार रहें।

“एक सही फैसला आपको बड़ी ठगी से बचा सकता है।”

जनपदीय साइबर सेल टीम, प्रतापगढ़

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित वांछित 01 बाल अपचारी को ग्राम रघईपुर के पास से पुलिस अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 गौतम बनर्जी, हे0का0 ऋषिकेश यादव, का0 रणजीत सिंह एवं म0का0 दीपिका त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 352,351 (2), 69 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधिनियम थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 बाल अपचारी को ग्राम रघईपुर के पास से पुलिस अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- 01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 गौतम बनर्जी, हे0का0 ऋषिकेश यादव, का0 रणजीत सिंह एवं म0का0 दीपिका त्रिपाठी थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद जौनपुर व जनपद प्रतापगढ़ में लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 इन्नालेश यादव मय स्वाट टीम प्रभारी श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह का0 आशुतोष पांडे, का0 जागीर सिंह, का0 अरविंद दुबे, का0 सलमान चालक, का0 राजेंद्र कुमार व सर्विलांस टीम- हे0का0 यशवंत सिंह राठौर, का0 संजय सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त अरविन्द कुमार बिन्द उर्फ जंगली पुत्र राम नारायण बिन्द निवासी देवना दुबौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उग्र

31 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने वाले मार्ग पर राजगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण- अरविन्द कुमार बिन्द उर्फ जंगली पुत्र राम नारायण बिन्द निवासी देवना दुबौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र 31 वर्ष।

अन्तर्जनपदीय ईनामिया अभियुक्त अरविन्द कुमार बिन्द उर्फ जंगली पुत्र राम नारायण बिन्द निवासी देवना दुबौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र 31 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 074/2024, धारा 307, 411 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुरा

02. मु0अ0सं0 211/2024, धारा 309(4), 317(2), 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बक्सा, जनपद जौनपुरा

03. मु0अ0सं0 219/2024, धारा 309(4), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना बक्सा, जनपद जौनपुरा

04. मु0अ0सं0 220/2024, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बक्सा, जनपद जौनपुरा

05. मु0अ0सं0 249/2024, धारा 309(4), 317(2), 351(2) बीएनएस, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुरा

06. मु0अ0सं0 256/2024, धारा 309(4), 317(2) बीएनएस, थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुरा

07. मु0अ0सं0 258/2024, धारा 356, 411 IPC, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुरा

08. मु0अ0सं0 269/2024, धारा 115(2), 304(2), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुरा

09. मु0अ0सं0 046/2025, धारा 111(2)(b), 304 बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

10. मु0अ0सं0 054/2025, धारा 309(4) बीएनएस, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

11. मु0अ0सं0 086/2025, धारा 309(4), 351(2) बीएनएस, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुरा

12. मु0अ0सं0 052/2025, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

13. मु0अ0सं0 069/2017, धारा 380, 411, 427, 457, 511 IPC, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

14. मु0अ0सं0 01/2026, धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 इन्नालेश यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम- प्रभारी श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह का0 आशुतोष पांडे, का0 जागीर सिंह, का0 अरविंद दुबे, का0 सलमान चालक, का0 राजेंद्र कुमार

सर्विलांस टीम- हे0का0 यशवंत सिंह राठौर, का0 संजय सिंह

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत आशापुर पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

दिनांक 24.04.2025 को बच्चों में आम बीनने को लेकर विवाद के पश्चात वादी निग्राम आशापुर, थाना जेठवारा अपनी बहु के साथ उलाहना देने गई। उसी दौरान आरोपीगण अशोक पटेल के घर में घुसकर हाथ में शटरिंग की डाई एवं रॉड लेकर वादी परिवार पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और धमकी देकर चले गए। उक्त घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 95/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/115(2)/333 बी.एन.एस. बनाम 09 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजजन्मनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में थाना जेठवारा के उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह का0 सत्येन्द्र सिंह व का0 विपिन मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 95/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/190/109(1)/352/351 (3)/115 (2)/333 बीएनएस थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त इंदुकुमार उर्फ बब्लू पटेल पुत्र रामसजीवन उम्र करीब 30 वर्ष नि० ग्राम आशापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत आशापुर पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- इंदुकुमार उर्फ बब्लू पटेल पुत्र रामसजीवन उम्र करीब 30 वर्ष नि० ग्राम आशापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह का0 सत्येन्द्र सिंह व का0 विपिन मिश्रा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

अन्तर्जनपदीय गैंगलीडर अभियुक्त राम लक्ष्मण सरोज पर जनपद प्रयागराज, जनपद प्रतापगढ़ में गौवध निवारण अधि०, पशु क्रूरता अधि०, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है।

अन्तर्जनपदीय प्रेमपाल पर जनपद कौशांबी, जनपद प्रतापगढ़ में गौवध निवारण अधि०, पशु क्रूरता अधि०, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है।

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत जहानाबाद पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजजन्मनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना हथिगवां प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना हथिगवां के उ०नि० प्रिन्स तिवारी मय हमराह हे०का० अखिलेश कुमार पाण्डेय व हे०का० संग्राम सिंह व का० विपिन सारस्वत द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 15/26 धारा 2/3 यू०पी० गैंग० एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1. राम लक्षन सरोज पुत्र महेश कुमार नि० पथरियापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 36 वर्ष, 2. प्रेम पाल पुत्र स्व राम प्रताप पाल नि० ग्राम टेंवा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 41 वर्ष को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत जहानाबाद पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-

01. राम लक्षन सरोज पुत्र महेश कुमार नि० पथरियापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 36 वर्ष।
02. प्रेम पाल पुत्र स्व राम प्रताप पाल नि० ग्राम टेंवा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 41 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01- अन्तर्जनपदीय गैंगलीडर राम लक्षन सरोज पुत्र महेश सरोज नि०ग्राम पथरियापुर अटरामपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 423/2020 धारा 3/5A/8 गोवध अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना नवाबगंज प्रयागराज।
2. मु०अ०सं० 90/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज प्रयागराज।
3. मु०अ०सं० 338/2022 धारा 3/5A/8 गोवध अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना कैण्ट प्रयागराज।
4. मु०अ०सं० 13/2025 धारा 318(2)/336(3) BNS व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

02- अन्तर्जनपदीय प्रेमपाल पुत्र राम प्रताप पाल नि० ग्राम टेंवा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 13/2025 धारा 318(2)/336(3) BNS व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
2. मु०अ०सं० 526/13 धारा 279/337/338/304A भादवि थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी।

पुलिस टीम- उ०नि० प्रिन्स तिवारी मय हमराह हे०का० अखिलेश कुमार पाण्डेय व हे०का० संग्राम सिंह व का० विपिन सारस्वत, थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मो0 नदीम खान मय हमराह का0 संदीप पटेल व का0 चन्दन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस व 5j(ii)/6 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अनिल पटेल पुत्र बंसीलाल पटेल निवासी पूरे गिरवर का पुरवा सहिजनी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष को एक अदद हीरो स्प्लेण्डर मोटर साइकिल के साथ थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत गहनेरू बाग तिराहा बहद ग्राम बभनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया एवं बरामद 01 अदद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अनिल पटेल पुत्र बंसीलाल पटेल निवासी पूरे गिरवर का पुरवा सहिजनी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मो0 नदीम खान मय हमराह का0 संदीप पटेल व का0 चन्दन कुमार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।